

विषय: एन.पी.ओ.पी के अंतर्गत जैविक टेक्सटाइल्स एवं जैविक कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर उत्पादों के प्रत्यायन के लिए स्कोप विस्तार हेतु प्रसंस्करण शुल्क

प्रिय प्रमाणीकरण निकाय,

दिनांक 16.05.2019 के एपीडा परिपत्र की निरंतरता में, 30 जून, 2020 को आयोजित 36वीं बैठक में राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय (एन.ए.बी) द्वारा जैविक टेक्सटाइल्स एवं जैविक कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर उत्पादों के प्रत्यायन के लिए स्कोप विस्तार हेतु प्रसंस्करण शुल्क को निर्धारित किया गया है। शुल्क संरचना निम्नलिखित है:

| क्र.सं. | गतिविधि | राशि (लाख रुपए में) |
|---------|--|---------------------|
| 1. | एन.पी.ओ.पी के अंतर्गत प्रत्यायन स्कोप का विस्तार | 1.50 |
| 2. | एन.पी.ओ.पी के अंतर्गत वार्षिक निरीक्षण | 1.00 |
| 3. | एन.पी.ओ.पी के अंतर्गत प्रत्यायन का नवीकरण | 1.50 |

प्रमाणीकरण निकायों से यह निवेदन किया जा रहा है कि एपीडा को बैंक ट्रांसफर के माध्यम से लागू कर के साथ शुल्क प्रस्तुत करें।

दिनांक 16.05.2020 के परिपत्र में उल्लिखित अन्य श्रेणियों के लिए शुल्क संरचना वैसे ही रहेगी।

सादर,

(डॉ. तरुण बजाज)
निदेशक